भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2644

16.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना

2644. **श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीएमईपीसीआई) के लिए राज्यवार और विशेषकर आंध्र प्रदेश के आवेदकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) एसपीएमईपीसीआई के कार्यान्वयन के लिए लाभार्थी-वार, विशेषकर आंध्र प्रदेश के लाभार्थियों के लिए कुल कितनी निधि आवंटित की गई है;

(ग) क्या सरकार ने एसपीएमईपीसीआई के कार्यान्वयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा घरेलू कंपनियों और संभावित लाभार्थियों के बीच एसपीएमईपीसीआई के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) एवं (ख) : एसपीएमईपीसीआई के लिए आवेदन विंडो 21.10.2025 तक खुली थी, तथापि, इस अवधि के दौरान कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

(ग) एवं (घ) : चूँकि इस योजना के अंतर्गत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए इसके कार्यान्वयन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई। एसपीएमईपीसीआई के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए संभावित लाभार्थियों के साथ हितधारक परामर्श आयोजित किए गए। मंत्रालयों (जैसे विदेश मंत्रालय, वाणिज्य विभाग) तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से भी व्यापार सुगमता (ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस) से संबंधित अन्य पहलों के साथ एसपीएमईपीसीआई को बढ़ावा देने का अनुरोध किया गया।

******